4/c

By Speed Post / Fax

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TEXTILES
OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIOENR
POST BAG NO.11500, MUMBAI-20

No.2(2)/1-A/Comp/Wvg./11 Date: 14/8/2007

Shri A.K.Agrawal
Director/MM.
For Addl.DGOF.
Government of India.
Ministry of Defence.
DTE.GENL.Ordinance Factories.
OEF Group HQRs. G.T.Road.
KANPUR – 208013.
Fax No.0512-2451010/2450099

Sub:- Definition of Composite and Integrated Textile Mills- reg:

Sir.

Please refer to your Fax No.OEFHQ/SP/7839/REGN/SOP dated 16/07/07 and subsequent reminder dated 10/8/2007 of Shri S.C. Gupta, Sr.DDG. requesting this office to forward Government of India instructions on definition of Composite and Integrated Textile Mills.

As desired, the matter is clarified as under:-

BROAD PRINCIPLES, WHICH CLARIFY THE CONCEPT OF COMPOSTIE TEXTILE MILLS AND INTEGRATED TEXTILE MILLS:

The word Composite and Integrated Textile Mills are generally used synonymously even though in natural meaning, they are perhaps different in respect of location and the chain of manufacturing activities carried out. The definition is inclusive and not exhaustive. The definition of this term is not codified in any Act relevant to textile industry and as such, it has to be understood accordingly to its general and natural meaning. Generally, the term " Composite Textile Mills' is restrictive to the term "Integrated Textile Mills." The term "Integrated" as generally understood, means to have entire chain of production activity under one roof/location being carried out by the same legal entity whether it is a proprietorship, partnership firm or a company form of organization (Private/Public Limited Company). The activities starting from down stream business i.e. fibre manufacturing for textile unit to finished goods i.e. fabric, made-up, garments for textile units would be under one roof/location within the ambit of term "integrated Textile Mills".

.........2/-

Keeping in view the above concept of Composite/Integrated Textile Mills, the distinction between the meaning of the term "Composite Textile Mills" and "Integrated Textile Mills" is as under:

Composite Textile Mills

A composite textile mills for woven / knitted goods may have either of the following manufacturing activities irrespective of its locations (location may be same or at different places) being carried out by the same legal entity:-

1) Spinning and weaving/knitting:
2) Weaving/knitting & processing activities:
3) Processing and garmenting:
4) Spinning, weaving/knitting and processing activities:
5) Spinning, weaving/knitting, processing and garmenting activities:

The said legal entity will be holding one PAN No., and one registration with the Ministry of Industry, Deptt. of Industrial Policy & Promotion, Secretariat for Industrial Assistance /State Directorate of Industry, as the case may be.

Integrated Textile Mills

The definition as mentioned under Composite Textile Mills mentioned hereinabove holds good for Integrated Textile Mills also but the same legal entity will carry out the manufacturing activities at one location/premises only.

This issues with the approval of the Textile Commissioner.

Yours faithfully

(H.N. NAGARAJU)
DIRECTOR

My doc.scguptasrddg.

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48 न्यू मरीन लाइन्स
पो.बै.सं.11500, मुंबई 400 020

सं.2(2)/1-ए/संमिश्रित/बुनाई/11 दिनांक: दिसम्बर,2007

सेवामें
श्री ए.के. अग्रवाल
निदेशक / एम.एम.
अतिरिक्त डी जी ओ एफ हेतु
भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय,
आयुध निर्माण फॅक्टरी,
ओ ई एफ (महानिदेशक) मुख्यालय,
जी.टी.रोड, कानपुर - 208 013.
फॅक्स सं. 0512-2451010/2450099

विषय : संमिश्रित तथा संगठित वस्त्र मिलों की परिभाषा के संबंध में ।

महोदय,

कृपया आपके दिनांक 16/07/2007 के फैक्स संख्या ओईएफएचक्यू/एसपी/7839/आरईजीएन/एसओपी.तथा श्री एस.सी. गुप्ता, सीनियर डीडीसी का दिनांक 10/08/2007 का अनुवर्ती अनुस्मारक का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सम्मिश्रित तथा संगठित वस्त्र मिलों की परिभाषा पर भारत सरकार के अनुदेश प्रेषित करने का अनुरोध किया गया था ।

अनुरोधानुसार निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :-

सम्मिश्रित वस्त्र मिलों तथा संगठित वस्त्र मिलों की संकल्पना को स्पष्ट करने वाले व्यापक सिद्धांत

सम्मिश्रित तथा संघटित वस्त्र मिलें शब्द मूल अर्थ में एक समानार्थ रुप में प्रयोग होते हैं । वे संभवत: स्थान तथा उत्पादन कार्यों की श्रृंखला के मामले में भिन्न है । परिभाषा सम्मिलित है तथा सर्वागीण नहीं है । इस शब्द की परिभाषा वस्त्र उद्योग से संबंधित किसी अधिनियम में विधिबद्ध नहीं की गई है, अत: इसे सामान्य तथा स्वाभाविक अर्थ की दृष्टि से समझना होगा ।

2/-

9/c

सामान्यतया 'सम्मिश्रित वस्त्र मिले' शब्द 'संघटित वस्त्र मिलें शब्द' तक प्रतिबंधित हे । शब्द 'संघटित' जैसे कि आम तौर पर समझा जाता है कि स्वयं के स्वामित्व की भागीदारी फर्म अथवा संगठन की कंपनी जैसी एक ही कानूनी सत्ता (निजी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी) द्वारा एक ही छत के नीचे / एक ही स्थान पर की जाने वाली उत्पादन गतिविधियों की संपूर्ण श्रृंखला निचले स्तर से आरंभ होने वाली गतिविधियां जैसे परिष्कृत वस्तुओं के लिये वस्त्र इकाइयों हेतु फाइबर विनिर्माण अर्थात वस्त्र इकाइयों के लिये फैब्रिक, मेड - अप, गारमेंट का विनिर्माण एक ही छत के नीचे / एक ही स्थान पर 'संघटित वस्त्र मिलें ' शब्द की परीधि में आता है ।

सम्मिश्रित / संघटित वस्त्र मिलों की उपरोक्त संकल्पना को ध्यान में रखते हुए 'सम्मिश्रित वस्त्र मिलें तथा 'संघटित वस्त्र मिलें ' शब्दों के अर्थ में भिन्नता निम्नानुसार है -

सम्मिश्रित वस्त्र मिलें

बुने हुए निटेड वस्तुओं के लिये सम्मिश्रित वस्त्र मिलें एक ही कानूनी सत्ता द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित विनिर्माण गतिविधियों में से कोई एक गतिविधि की जा सकती है, फिर उसका स्थान कोई भी हो सकता है (स्थान एक ही अथवा भिन्न - भिन्न हो सकता है) :-

1. कताई तथा बुनाई / निटिंग
2. बुनाई / निटिंग तथा प्रोसेसिंग गतिविधियां
3. प्रोसेसिंग तथा गारमेंटिंग
4. कताई, बुनाई/निटिंग तथा प्रोसेसिंग गतिविधियां ।
5. कताई, बुनाई/निटिंग तथा प्रोसेसिंग तथा गारमेंटिंग गतिविधियां।

उक्त कानूनी सत्ता के पास पैन नंबर तथा उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा प्रमोशन विभाग, औद्योगिक सहायता सचिवालय / उद्योग राज्य निदेशालय, जैसी भी स्थिति हो पंजीकरण होगा।

संघटित वस्त्र मिलें :-

इसमें इससे पहले उल्लिखित 'सम्मिश्रित वस्त्र मिलो' के अंतर्गत उल्लिखित परिभाषा 'संघटित वस्त्र मिलों' के लिए भी उचित है, किंतु एक ही कानूनी सत्ता द्वारा केवल एक ही स्थान/ अहाते पर विनिर्माण गतिविधियां की जाएंगी।

यह वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(एच.एन. नागाराजू)
निदेशक

C:\Documents and Settings\hindi section\My Documents\Translation\wvp translation.doc

000